(1) **कृषि प्रक्षेत्र** – जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ने जिला कृषि पदाधिकारी,मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा आवश्यकतानुसार फसल की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कृषि इनपुट के रूप में डीजल,बीज आदि देय पर सब्सिडी वितरण सुनिश्चित कराऐगी। वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर उसके सफल कियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए। सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैकों के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए। किसानों के फसल बीमा का लाभ दिलवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा)

(2) **पेयजल** :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में लगाये गये चापाकलों/नलकूपों की मरम्मति की जाय। आवश्यकता का आकलन कर पुराने चापाकलों को और गहरे स्तर तक गाड़े जाय। जरूरत के अनुसार नये नलकूप/ चापाकल भी लगाये जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द चापाकलों की साधारण तथा विशेष मरम्मति की व्यवस्था की जाय। जिलों में अतिरिक्त चापाकल/नलकूप रखे जायें ताकि कहीं खराबी आने पर उसे तुरंत बदलकर जलापूर्ति चालू रखा जा सके।

(अनुपालन – कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल मधेपुरा)

(3) **खाद्यान्न** :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा सुनिश्चित करेंगे कि जिलों में पर्याप्त खाद्यान्न का भंडारण है। अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न की उपलब्धता एवं इसके उठाव का गहन अनुश्रवण किया जाय। ताकि विषम स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु खाद्यान्न का पर्याप्त उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सके। जिला के सभी पंचायतों में शताब्दी अन्न कलश योजना के अंतर्गत एक–एक क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनवितरण प्रणाली के दुकानदरों के पास सुरक्षित रखा जाए ताकि भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन – जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा)

(4) **पशु संसाधन** :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सुखाड़ के कारण पशुचारा की तात्कालिक कमी नहीं है, परन्तु कालान्तर में कृषि अवशेष की लगातार कमी के कारण इसके दीर्घकालीन प्रभाव अवश्यभावी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। सुखाड़ की स्थिति में जलाशय सूख रहे हैं जिसके कारण पशुओं के लिए पेयजल की नितांत कमी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जिला पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा स्थिति का आकलन कर स्थल का चयन किया जाए ताकि चयनित स्थलों को शिविर के रूप में चिन्हित किया जा सके। इन चिन्हित

स्थलों पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण तथा लधु सिंचाई विभाग के सहयोग से जल की व्यवस्था की जाएगी। सुखाड़ के कारण पशुओं में इफिमेरल फीवर, हीट स्ट्रोक, न्यूमोनिया, दस्त जैसी सामान्य पशु रोगों की बहुतायत होती है। इन हेतु पशु चिकित्सालयों में दवा का भंडारण कर लिया जाए, जिनमें एंटि बायोटिक्स, एनालजेसिक, परासिटामोल, एंटि डायरियल, लीवर टॉनिक, नॉरमल सलाईन, एलेक्ट्रोलाइट, इन्यूजन लिक्विड, आदि का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाए।

(अनुपालन – जिला पशुपालन पदाधिकारी मधेपुरा)

(5) **रोजगार सृजन** :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ने उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि कार्य की कमी के कारण मजदूरों के समक्ष रोजीरोटी का संकट उत्पन्न होगा अतएव रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में गतिशीलता लायी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन हेतु मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत योजनओं की सूची तैयार रखी जाए जिसमें जल संरक्षण की योजना यथा– तालाब, आहार एवं पाइन उड़ाही, वृक्षारोपण इत्यादि की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक पंचायत में जल संरक्षण की न्यूनतम दो–दो योजनाएँ संचालित की जाए। अन्य संबंधित विभाग भी सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे।

(अनुपालन – उप विकास आयुक्त मधेपुरा)

(6) **विद्युत** :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ने कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जहाँ–जहाँ नलकूप बिजली पर आधारित है, वहॉ कृषि एवं अन्य कार्यों हेतु सुखाड़ से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 8 घंटों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसका प्रचार– प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा।

(अनुपालन – कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल मधेपुरा)

(7) **स्वास्थ्य** :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सुखाग्रस्त क्षेत्रों में डायरिया एवं भीषण गर्मी के प्रकोप से उत्पन्न होनेवाली बीमारियां यथा– दस्त, कॉलरा, अतिसार, मियादी, बुखार, मिजिल्स, डिहाईड्रेशन, डर्मेटाईटिस, हीट स्ट्रोक आदि की रोकथाम हेतु सभी प्राथमिकता चिकित्सा केन्द्रों/उपकेन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों में वांछित दवाओं एवं जीवन रक्षक घोल (आर0आर0एस0) का पर्याप्त भंडारण कराया जाए। प्रभावित प्रखण्ड में मोबाईल मेडिकल केयर यूनिट की प्रतिनियुक्ति की जाए।सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में ओ0आर0एस0 एवं परासिटामोल आदि दवाओं का भंडारण किया जाए।

(अनुपालन – सिविल सर्जन, मधेपुरा)

(8) **महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल** :- जिला पदाधिकारी,मधेपुरा द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सुखाड़ग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों एवं गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पूर्व से चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन - जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा)

(9) **अनुश्रवण** :- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में सुखाड़ साहाय्य कार्य चलाए जायेंगे। सुखाड़ के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर 24 घंटे क्रियाशील नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष सं0 - 06476-222220 टॉल फ्री नं0 - 1077 है। जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री जयंत कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, मधेपुरा जिसका मो0 नं0 - 9430828970 है। ये समय- समय पर नियंत्रण कक्ष का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते रहेंगे।

उपरोक्त कंडिका-1 से 8 तक के सभी विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने विषयवस्तु से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर 05.10.2013 तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक- 450 /आ0प्र0,दिनांक- 28-09-2013

प्रतिलिपि :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, मधेपुरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन, मधेपुरा/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकाश आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

28/09/13

जिला पदाधिकारी

मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2013 को सुखाड़ के फलस्वरूप साहायय् कार्यों के प्रबन्ध हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति पंजी में दर्ज :-

कार्यवाही - सर्वप्रथम अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013 में राज्य में मॉनसून की वर्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप खरीफ फसल (धान) की रोपनी/ बुआई लक्ष्य से कम हो पाई है। जिन क्षेत्रों में रोपनी /बुआई की गयी है, वहॉ भी अल्प वर्षापात् के कारण उपज कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। भारत मौसम विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में वर्षापात की स्थिति अत्यंत खराब है। 01 जून से 11 सितम्बर तक राज्य में 892.2 मि0मी0 औसत वर्षापात के विरूद्ध आलोच्य अवधि में मात्र 668.6 मि0मी0 बारिश ही हो पाई है। वर्षापात अनियमित भी रहा है। इस प्रकार वर्षापात में औसतन 25 प्रतिशत की कमी पाई गई है। राज्य में धान की रोपनी/बुआई का समय जुलाई-अगस्त का माना जाता है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि जुलाई-अगस्त माह में राज्य में 634.7 मि0मी0 औसत वर्षापात के विरूद्ध मात्र 402.2 मि0मी0 वर्षापात रहा है। इस प्रकार रोपनी/बुआई के समय में वर्षापात में 37 प्रतिशत की कमी पायी गयी है।

अल्प वर्षापात के कारण राज्य के भू एवं सतही जलस्त्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। राज्य के भागों में जलस्त्रोत सूख रहे हैं एवं जलाशयों तथा भूगर्भ जलस्तर में कमी आयी है। कृषि एवं जल संसाधनों के अतिरिक्त सूखे का कुप्रभाव पशु संसाधन एवं रोजगार पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य में सुखाड़ के कारण आपदा की स्थिति बन गई है।

उपरोक्त के आलोक में राज्य के 33 प्रभावित जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया गया है जिसमें मधेपुरा जिला भी शामिल है। अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु राज्य आपदा रिस्पांस निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस निधि (NDRF)से दी जानेवाली सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से किया गया है। अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस, पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित हो, की वसूली वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए स्थगित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रभावित जिलों में फसल को बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, पशु संसाधनों का सही रख-रखाव करने, इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार साहायय कार्य चलाने, आदि की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा निम्न प्रकार से समीक्षा की गई -